



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)



Office Order No. 57 of 2023

Sub: Allocation of works to AMs/PEDs/EDs under DG/HR in Board's Office.

In supersession of Office Order No.45 of 2023, it has been decided that allocation of work and reporting of officers working in Establishment, Establishment(IR), Pay Commission, Sports, OL and Management Services Directorates would be as under:-

AM/PEDs/EDs		Officer Reporting /Allocation of Specific Items of Work		
AM/Staff		ED/E, EDPC, EDE/N, ED/E(GC).	EDE/Res, EDE/RRB and	
	PED/IR	DE(G)	-	
AM/HR		JD/E(IR)	Territorial Army	
		JD/E(Welfare)	Railway Schools	
	ED/E(LL)	Court Cases and Rajbhasha		
EDE/Sports -				

- 2. ED/E(GC) would report directly to CRB&CEO on all policy issues relating to IRMS. In other matters, ED/E(GC) would report to AM/Staff.
- 3. AM/Staff and AM/HR would report to Board(CRB&CEO) through DG/HR as per above allocation/cases.
- 4. PED/HR, PED/IR, ED/E(LL) and EDE/Sports would report to DG/HR through AM/HR.
- 5. The above issues with the approval of competent authority.

No.2023/O&M/7/7

New Delhi. Dated: 05.09.2023

(T. Srinivas)

Joint Secretary/Railway Board Tele No.011-23387362

Email ID: t.srinivas1@gov.in

All officers and Branches in Board's Office, Office at COFMOW Building and at Daya Basti, New Delhi.

Copy to:

DG/HR, AM/Staff, AM/HR, PED/HR & PED/IR EDPG/MR, EDPG/MoSR(D) & EDPG/MoSR(J)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

2023 का कार्यालय आदेश संख्या 57

विषय: बोर्ड कार्यालय में महानिदेशक/मानव संसाधन के अंतर्गत अपर सदस्यों/प्रधान कार्यपालक निदेशकों/कार्यपालक निदेशकों का कार्य आवंटन।

2023 के कार्यालय आदेश संख्या 45 के अधिक्रमणं में, यह निर्णय लिया गया है कि स्थापना, स्थापना (औद्योगिक संबंध), वेतन आयोग, खेलकूद, राजभाषा और प्रबंधन सेवा निदेशालयों में कार्यरत अधिकारियों का कार्य आवंटन और रिपोर्ट करने की व्यवस्था निम्नानुसार होगी:-

अपर सदस्य/प्रधान कार्यपालक निदेशक/कार्यपालक निदेशक		रिपोर्ट करने वाले अधिकारी/कार्य की विनिर्दिष्ट मदों		
		का आवंटन		
अपर सदस्य/कर्मचारी		ईडी/ई, ईडीपीसी, ईडीई/एन	ा, ईडीई/आरईएस,	
		ईडीई/आरआरबी और ईडी/ई(जीसी)।		
	प्रधान कार्यपालक	कार्यपालक निदेशक/टीएंडएमपीपी,		
	निदेशक/मानव	कायपालक निदर्शक/टाएडएनपापा,		
	संसाधन		t ya ya kasara in dan kasara	
		डीई (जी)	-	
	प्रधान कार्यपालक	संयुक्त निदेशक/स्था.		
	निदेशक/औद्योगिक	(औद्योगिक संबंध)	प्रादेशिक सेना	
अपर	संबंध	संयुक्त मिदेशक/स्था.		
सदस्य/मानव		(कल्याण)	रेल स्कूल	
संसाधन	कार्यपालक			
in the second of	निदेशक/स्था.(श्रम	अदालती मामले एवं राज	नाषा	
	कानून)			
	कार्यपालक			
	निदेशक/	-		
	स्था.(खेलकृद)			

2. कार्यपालक निदेशक/ई(जीसी) भारतीय रेल प्रबंधन सेवा से संबंधित सभी नीतिगत मुद्दों पर सीधे अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे। अन्य मामलों में, कार्यपालक निदेशक/ई(जीसी) अपर सदस्य/कर्मचारी को रिपोर्ट करेंगे।

- 3. उपरोक्त आवंटन/मामलों के अनुसार अपर सदस्य/कर्मचारी और अपर सदस्य/मानव संसाधन महानिदेशक/मानव संसाधन के माध्यम से बोर्ड (अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड) को रिपोर्ट करेंगे।
- 4. प्रधान कार्यपालक निदेशक/मानव संसाधन और प्रधान कार्यपालक निदेशक/औद्योगिक संबंध: कार्यपालक निदेशक/स्था. (श्रम कानून), कार्यपालक निदेशक स्था:(खेलकूद), अपर सदस्य/मानव संसाधन के माध्यम से महानिदेशक/मानव संसाधन को रिपोर्ट करेंगे।

5 इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

सं. 2023/ओएंडएम/7/7

नई दिल्ली दिनांक: 05.07.2023

(टी. श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव, रेलवे बोर्ड

टेलीफोन नं. 011-23387362

ईमेल आईडी: t.srinivasl@gov.in

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली में सभी अधिकारी और शाखाएं। प्रतिलिपि प्रेषितः

महानिदेशक/मानव संसाधन, अपर सदस्य/कर्मचारी, अपर सदस्य/मानव संसाधन, प्रधान कार्यपालक निदेशक/मानव संसाधन और प्रधान कार्यपालक निदेशक/औद्योगिक संबंध कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री (डी), कार्यपालक निदेशक जन शिकायत (जे)।